उडीसा राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रसन कुमार साहू

26 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 162 & 309 - अनुच्छेद 162 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय अभिनिर्धारित : राज्य द्वारा विधायी अधिनियम या अनुच्छेद 309 से संलग्र परंतुक के संदर्भ में बनाए गए भर्ती नियमों के अधीन होगा।- कार्यकारी निर्देश के माध्यम से जारी तात्पर्यित नीतिगत निर्णय, अधिनियम या उसके अंतर्गत पारित नियमों के भी विरुद्ध नहीं जा सकते, संवैधानिक प्रावधानों से परे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता -एक ऐसे व्यक्ति जो राज्य के रोजगार में नहीं है, उसे शामिल करने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय जो भर्ती नियमों की पालन न करता हो, उसे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 14 का दायरा-अभिनिर्धारित अनुच्छेद 14 में एक सकारात्मक परिकल्पना है-मात्र इसलिए कि एक अवैधता की गई है, इसे

न्यायालय द्वारा जारी रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है-अवैधता में समानता नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद 226 - परमादेश की रिट-माना गया: उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी जारी की जा सकती है जब रिट याचिकाकर्ता में विधिक अधिकार और राज्य में संबंधित विधिक दायित्व हो।

अपीलार्थी राज्य ने राज्य में तहत नियुक्ति के लिए जनगणना संगठन के छंटित कर्मचारी की ऊपरी आयु सीमा में ढील देते हुए एक परिपत्र जारी किया। जनगणना संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण या उनको शामिल करने हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गई थी।

उक्त परिपत्र के अनुसार नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु प्रत्यर्थी की पात्रता के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए। कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जनगणना संगठन में प्रत्यर्थी की नियुक्ति की जाती थी। उनकी सेवाओं को कथितः रूप से समाप्त कर दिया गया था।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण और तदन्तरं उच्च न्यायालय ने उक्त कथित परिपत्र को प्रत्यर्थी की सेवा के नियमतिकरण हेतु राज्य का नीतिगत निर्णय मानने में एक स्पष्ट त्रुटि की

है। यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन परिपत्र में केवल आयु में छूट का प्रावधान किया गया था और यह भर्ती नियमों के प्रावधानों के अधीन था।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ जनगणना विभाग में सेवाओं को नियमित करने की प्रार्थना की गई। उनके अनुसार, राज्य के नीतिगत निर्णय के अंतर्गत , जब बड़ी संख्या में जनगणना कर्मचारियों को हटा देने के बाद नियुक्त किया गया था ,तो इस बात का कोई कारण नहीं था कि उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि किसी भी समय उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया गया था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने माना:

1. संवैधानिक परिकल्पना में लोक नियोजन प्रदान करने के विषय में राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 से बाध्य है। [पैरा 13] [703-एफ-जी]

2. यहाँ तक कि राज्य द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए लिया गया नीतिगत निर्णय भी, राज्य द्वारा पारित विधायी अधिनियम या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में बनाए गए भर्ती नियमों के अधीन होगा। कार्यकारी निर्देश के माध्यम से जारी तात्पर्यित नीतिगत निर्णय,

अधिनियम या उसके अंतर्गत पारित नियमों के भी विरुद्ध नहीं जा सकते, संवैधानिक प्रावधानों से परे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। [पैरा 14] [703-जी, एच; 704-ए]ए उमरानी बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य, [2004] 7 एससीसी 112, पर भरोसा किया।

3. 21.3.1995 दिनांकित परिपत्र का जनगणना कर्मचारियों के नियमितीकरण या शामिल करने से सम्बंधित नीतिगत निर्णय नहीं है। इसमें केवल आयु में छूट का प्रावधान था। इस तरह की छूट भर्ती नियमों के सख्त अनुपालन के अधीन भी थी। यदि किसी गलत धारणा के कारण या अन्यथा, न्यायाधिकरण ने कुछ जनगणना कर्मचारियों के पक्ष में कुछ राहत दी भी थी,तो भी मात्र यह अपने आप में, भर्ती नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की संवैधानिक परिकल्पना के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के बिना किसी व्यक्ति को राज्य की सेवाओं में शामिल होने का कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करेगा। [पैरा 16] [704-बी, सी, डी]

4. नियमितीकरण भर्ती का कोई तरीका नहीं है। नीतिगत निर्णय शामिल करने का नीतिगत निर्णय एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य के रोजगार में नहीं है, शामिल करने का नीतिगत निर्णय जो भर्ती नियमों की पालना नहीं करता हो, उसे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा, आयु के संबंध में छूट देने के निर्देश को, उसमें निर्दिष्ट अन्य शर्तों

की भी सख्ती से पालना की जानी चाहिए। [पैरा 19 और 21] [704-एफ; 705-बी]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) अन्य। , [2006] 4 एस. सी. सी. 1, को माना गया।

गुरबचन लाल बनाम क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र और अन्य, (2007) 4 स्केल 1 यू. पी. का राज्य और अन्य बनाम देशराज, (2006) 13 स्केल 382; पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोद सिंह और अन्य, (2006) 13 स्केल 426; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह, (2007) 2 स्केल 525; पंजाब राज्य भंडारण निगम, चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और अन्य, (2007) 3 स्केल 401 और केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम सजल कुमार रॉय और अन्य, [2006] 8 एस. सी. सी. 671, का आश्रय लिया।

5. ऐसा हो सकता है कि इसी तरह स्थित कुछ अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। लेकिन अनुच्छेद 14, जैसा कि सर्वविदित है, में एक सकारात्मक परिकल्पना है। उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब रिट याचिकाकर्ता में विधिक अधिकार और राज्य में संबंधित विधिक दायित्व का अस्तित्व हो। केवल इसलिए कि एक अवैधता की गई है, इसे न्यायालय द्वारा जारी रखने का निर्देश नहीं दिया

जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय है कि अवैधता में समानता नहीं हो सकती है। [पैरा 22 और 23] [705-सी, डी]

सुशांत टैगोर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , [2005] 3 एससीसी 16; राज्य, सी. बी. आई बनाम शशि बालासुब्रमण्यम और अन्य, (2006) 10 स्केल 541 और यू. पी. शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम संत राज सिंह और अन्य, (2006) 6 स्केल 205, पर आश्रय लिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील सं. 2167

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.04.2006 से जो कि डब्ल्यू. पी. (ग) 2006 का 564 में दिया गया।

अपीलार्थियों की ओर से जनार्दन दास और श्वेता केतू मिश्रा।

प्रतियर्थीयों की ओर से भारत संगल, आर. आर. कुमार, समयदीप चटर्जी और सुचित्रा शर्मा।

न्यायालय का निर्णय, एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इजाजत दी गई।

2. प्रत्यर्थी को भारत संघ द्वारा जनगणना संगठन में नियुक्त किया गया था उनकी नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की थी। कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की जाती थी।

उड़ीसा राज्य ने राज्य के अधीन नियुक्ति के लिए, छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों की ऊपरी आयु सीमा में ढील देते हुए 21.3.1995 पर या उसके लगभग एक परिपत्र पत्र जारी किया। उक्त परिपत्र, 147 छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों से संबंधित था। मुख्यतः राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए आयु में छूट पर विचार किया गया था, जिसमें कहा गया था;

"सावधानीपूर्वक विचार के बाद, ओ. एस. सी. के नियम 52 के अनुसरण में, सरकार को यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि नियम 52ए में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में ढील, उड़ीसा में जनगणना संगठन के इन 147 छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों पर नीचे दर्शित तरीके से लागू होगी:

(i) भर्ती संबंधित किसी भी नियम के तहत किसी भी पद में प्रवेश के लिए आयु सीमा में उपरोक्त मामलों में ढील दी जा सकती है। छंटनी से पहले उड़ीसा के जनगणना संगठन में प्रदान की गई सेवा की अवधि के बराबर, आयु में छूट दी जा सकती है।

सरकार के सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों और सभी कलेक्टरों से अनुरोध है कि वे इन छंटनी किए गए कर्मचारियों के मामलों पर विचार करें, जब वे अपनी योग्यता के अनुरूप किसी

भी पद के लिए आवेदन करते हैं, बशर्ते कि वे प्रासंगिक भर्ती नियमों के तहत पद के लिए पात्र हों। आवश्यकता पड़ने पर इन 147 छंटनी किए गए कर्मचारियों का विवरण मांगने के लिए आवश्यक विवरण जनगणना संचालन निदेशक, उड़ीसा, भुवनेश्वर से प्राप्त किया जा सकता है।"(जोर दिया गया)

3. उक्त परिपत्र द्वारा जनगणना संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण अथवा आमेलन हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी थी।

4. एक और परिपत्र 2.7.1999 को या उसके आसपास जारी किया गया था। यह प्रश्न कि क्या उक्त कथित परिपत्रों के संदर्भ में, जनगणना संगठन में काम करने वाले कर्मचारी भर्ती के हकदार थे, उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष विचार के लिए आया और निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.1998 के आधार पर, यह निर्देशित किया गया; "6. जो भी हो, तथ्य यह है कि इन आवेदकों और अन्य जो छूट गए थे, उन्हें उन पदों पर चयनित होने के दौरान प्रत्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जो दिखाएँ कि इन आवेदकों को किसी भी कार्यालय द्वारा किसी भी समय किसी रिक्ति के अस्तित्व के बारे में सूचित किया गया था और न ही उन्हें छंटनी के बाद पद पर भर्ती के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी चयन परीक्षा के लिए बुलाया गया था।

ऐसी किसी भी सूचना के अभाव में, आवेदकों और अन्य लोगों के लिए रिक्ति की स्थिति के बारे में जानना और नियुक्ति के लिए कोई आवेदन करना संभव नहीं था। जैसा कि प्रस्ताव से प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का यह कर्तव्य था कि वे ऐसे छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए स्वत: पहल करें। इन छंटनी किये गये अभ्यर्थियों पर कोई दायित्व नहीं डाला गया। इन छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों पर पदों के लिए आवेदन करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई थी। बताया गया है कि इस बीच जिला कार्यालयों और उपखण्ड कार्यालयों सहित सरकारी विभागों में सैकड़ों पद खाली हो गये। यदि ऐसा है तो हमारा विचार है कि सरकार के पूर्वोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में अन्य लोगों की तुलना में आवेदकों जैसे छंटनीग्रस्त कर्मचारियों पर विचार न करने में अधिकारियों द्वारा अपनाया गया वर्तमान रवैया उचित नहीं है और हम आगे कह सकते हैं कि उन्होंने आवेदकों के साथ-साथ अन्य छंटनी किए गए उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया। हालाँकि, प्रतियर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 90 ऐसे छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों को पहले ही विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है और केवल लगभग 50 उम्मीदवार ही नियुक्ति के लिए बचे हैं।

"7. ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि आवेदकों की शिकायत वास्तविक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

प्रतियर्थियों का विधिवत चयन किया गया है और उन्हें छंटनी किए गए उम्मीदवारों के रूप में नियुक्त किया गया है, हम नियमितीकरण के बाद उनकी नियुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अत:प्रत्यर्थी संख्या 4 से 13 जहां भी पहले से सेवा में हैं, नियमानुसार अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

8. हम राज्य सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को विशेषतः निर्देश देते हैं, राज्य में कहीं भी स्थित किसी भी सरकारी कार्यालय में इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शेष छंटनी किए गए उम्मीदवारों के समामेलन के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए या यदि सरकारी कार्यालयों में, ऐसी कोई तत्काल रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, राज्य में कहीं भी स्थित किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उस पद के लिए जिसके लिए वे पात्र हैं लेकिन वर्ग III के रैंक से नीचे नहीं। यह प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, भले ही उनकी वर्तमान आयु कुछ भी हो, बशर्ते कि उनमें से कोई भी 50 वर्ष से अधिक आयु का न हो।"

5. हालाँकि कहा गया था कि उक्त नीतिगत निर्णय के अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, यहाँ प्रत्यर्थी को

7.2.2001 को या उसके आसपास फिर से जनगणना संगठन में नियुक्त किया गया था। यह आशंका करते हुए कि उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं, उन्होंने उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और 17.4.2001 के एक अंतरिम आदेश द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि उनकी सेवाएँ न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

6. चूंकि उक्त अंतरिम आदेश के बावजूद, उनकी सेवाएं कथित तौर पर 1.6.2001 को समाप्त कर दी गईं, उन्होंने अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके बाद अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। 28.1.2002 के एक आदेश के कारण, राज्य सरकार को अस्थायी आधार पर और ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश के अधीन कनिष्ठ लिपिकों की किसी भी रिक्ति पर प्रत्यर्थी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

7. राज्य द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने 19.1.2005 के आदेश द्वारा , हालांकि राय दी कि ट्रिब्यूनल द्वारा उक्त निर्देश जारी करना उचित नहीं था, यह माना ;

> "मामले को समाप्त करने से पहले, हमें लगता है कि राज्य सरकार अपनी नीति और परिपत्रों का पालन करने के लिए बाध्य है, जब जनगणना संगठन के छंटनी किए गए कर्मचारियों को

नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि सरकार इसका अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। इसलिए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी ज्ञापन दिनांक 21.3.1995 सहित सरकारी परिपत्रों के अनुसार जनगणना संगठन के छंटनी किए गए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए और यदि विपरीत पक्ष का मामला भी उसी के अंतर्गत आता है , यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका मामला कनिष्ठ लिपिक की किसी भी रिक्ति के विरुद्ध स्थायी समामेलन के लिए विचार किए जाने योग्य है।"

8. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को यह निर्देश देते हुए अनुमति दे दी;

"माननीय उच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणियों के साथ-साथ अनुबंध-2 और 5 में दिए गए सरकार के नीतिगत निर्णय और आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थियों को इस निर्देश के साथ मूल आवेदन का निपटान करते हैं कि, वे प्रत्यर्थी संख्या 3 के भीतर, कनिष्ठ लिपिक की किसी भी रिक्ति के लिए आवेदक के मामले पर उसके स्थायी समावेश पर विचार करें, यदि उसका मामला अनुबंध-2 और 5 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत आता है और यह प्रक्रिया इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख

से छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी और उक्त अवधि के भीतर आवेदक को आदेश सूचित किया जाएगा।"

9. ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के आधार पर खारिज कर दिया है।

10. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जनरंजन दास का कहना है कि ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए उक्त कथित परिपत्र पत्रों को राज्य के नीतिगत निर्णय के रूप में मानने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।

11. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परिपत्र पत्रों में केवल आयु में छूट का प्रावधान है और उसके मात्र अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह भर्ती नियमों के प्रावधानों के अधीन था।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भरत संघल का कहना है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्रत्यर्थी ने जनगणना विभाग में सेवाओं को नियमित करने की प्रार्थना की है। विद्वान वकील के अनुसार, राज्य ने एक नीतिगत निर्णय लिया जिसके अनुसरण में और जिसके तहत बड़ी संख्या में जनगणना कर्मचारियों को, जिनकी छंटनी की गई थी, नियुक्त किया गया था, इस बात का कोई कारण नहीं

था कि प्रत्यर्थी के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि किसी भी समय, प्रत्यर्थी को तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया गया।

13. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि राज्य लोक नियोजन प्रदान करने के विषय में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए संवैधानिक योजना से बंधा हुआ है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत परिकल्पना की गई है।

14. यहाँ तक कि राज्य द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए लिया गया नीतिगत निर्णय भी, राज्य द्वारा पारित विधायी अधिनियम या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में बनाए गए भर्ती नियमों के अधीन होगा। कार्यकारी निर्देश के माध्यम से जारी तात्पर्यित नीतिगत निर्णय, अधिनियम या उसके अंतर्गत पारित नियमों के भी विरुद्ध नहीं जा सकते, संवैधानिक प्रावधानों से परे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

15. ए. उमारानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य [(2004) 7 एससीसी 112] में, इस न्यायालय ने माना है;

> "45. इस प्रकार, यदि नियुक्तियाँ वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त

वैधानिक शक्ति के प्रयोग में कोई नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं है।"

16. दिनांक 21.3.1995 के परिपत्र पत्र में जनगणना कर्मचारियों के नियमितीकरण या समामेलन से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय लेने का भी इरादा नहीं है। इसमें केवल आयु में छूट का प्रावधान था। ऐसी छूट भी भर्ती नियमों के कड़ाई से अनुपालन के अधीन थी। यदि किसी ग़लतफ़हमी के कारण या अन्यथा, ट्रिब्यूनल ने कुछ जनगणना कर्मचारियों के पक्ष में कुछ राहत दी थी, तो वही, हमारी राय में,भर्ती नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की संवैधानिक परिकल्पना के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के बिना किसी व्यक्ति को राज्य की सेवाओं में शामिल होने का कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

17. विद्वान वकील श्री भरत संघल की दलील यह है कि उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.1.2002 से रिट याचिका का निपटारा करते समय प्रत्यर्थी की भर्ती के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की थीं।

18. हमने यहां पहले देखा है कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी को सेवा में फिर से बहाल करने का निर्देश देने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया था। उसमें की गई टिप्पणियाँ कोई बाध्यकारी

निर्देश नहीं थीं। ट्रिब्यूनल ने इस आशय का आदेश पारित किया, लेकिन यह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न में था।

19. जैसा कि सर्वविदित है, नियमितीकरण भर्ती का कोई तरीका नहीं है। भर्ती नियमों का पालन किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करने का नीतिगत निर्णय, जो राज्य के रोजगार में नहीं है, उसे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य [(2006) 4 एससीसी 1] मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी।

गुरबचन लाल बनाम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र एवं अन्य [2007 (4) स्केल 1] को भी देखें

20. हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में निर्णयों में उमादेवी (पूर्व) का अनुसरण किया गया है।

जैसे यूपी राज्य एवं अन्य. बनाम देश राज [2006 (13) स्केल 382], पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य। [2006 (13) स्केल 426] और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य बनाम नीरज कुमार सिंह [2007(2) स्केल 525], पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और अन्य [2007(3) स्केल 401]।

21. इसके अलावा, आयु के संबंध में छूट देने के निर्देश में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का भी कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।

देखें, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम सजल कुमार रॉय और अन्य [(2006) 8 एससीसी 671]।

22. ऐसा हो सकता है कि इसी तरह स्थित कुछ अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। लेकिन अनुच्छेद 14, जैसा कि सर्वविदित है, में एक सकारात्मक परिकल्पना है। उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब रिट याचिकाकर्ता में विधिक अधिकार और राज्य में संबंधित विधिक दायित्व का अस्तित्व हो। केवल इसलिए कि एक अवैधता की गई है, इसे न्यायालय द्वारा जारी रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

23. यह भी अच्छी तरह से तय है कि अवैधता में समानता नहीं हो सकती है।

देखें, सुशांत टैगोर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(2005) 3 एससीसी 16], राज्य, सीबीआई बनाम शशि बालासुब्रमण्यम और अन्य [2006 (10) स्केल 541] और यू.पी. स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम संत राज सिंह और अन्य [2006 (6) स्केल 205]।

24. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयपाल जानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।